न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
श्री वीरमा पुत्र झीथा, जाति गरासिया, निवासी गिरवर, तहसील आबूरोड		1. श्री जेताराम पुत्र वागाजी, जाति गरासिया, निवासी धामसरा फली, गिरवर, तहसील आबूरोड 2. श्रीमती लखमी पत्नी श्री जेताराम, जाति गरासिया, निवासी धामसरा फली, गिरवर, तहसील आबूरोड 3. श्री बाबु पुत्र वागाजी, जाति गरासिया, निवासी धामसरा फली, गिरवर, तहसील आबूरोड 4. श्रीमती सरमी पत्नी श्री बाबु, जाति गरासिया, निवासी धामसरा फली, गिरवर, तहसील आबूरोड 5. श्रीमती लाडुरी पत्नी पिण्टा, जाति गरासिया, निवासी धामसरा फली, गिरवर, तहसील आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या 13/2018

दिनांक –11–2020

निर्णय

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातदारी की क्रयशुदा कृषि भूमि मौजा ग्राम गिरवर पटवार क्षेत्र गिरवर तहसील आबूरोड में जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के अनुसार निम्न खसरा नम्बर 1233, 1235, 1236, 1264, 1265 कुल किता 5 रकबा 00.06, 00.04, 04.16, 01.16, 00.05 बीघा कुल रकबा 07.07 बीघा उक्त कृषि भूमि को वाद में आगे विवादित भूमि कहा व लिखा गया है। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की है, जो उसे अपने पूर्वजो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी के रहवासी मकानात बने हुये है एवं प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय ही उक्त विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण दर्ज किया गया। दिनांक 03–07–2018 को शाम करीब 5.00 बजे प्रार्थी व उसका पुत्र फुला अपनी उक्त कृषि भूमि में फसल बोने हेतु खेडाई कर रहे थे, तभी अप्रार्थी संख्या 01 से 06 सभी एक राय होकर ट्रेक्टर लेकर प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर खेडाई करने की नियत से आये और प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी व उसके पुत्र फुला को खेडाई करने से रोक दिया तथा प्रार्थी के साथ गाली गलौच कर कहने लगे कि तु यह जमीन छोड कर यहाँ से चला जा, तब प्रार्थी व उसके पुत्र फुला ने अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को समझाईश की गयी, किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 06 ने प्रार्थी को स्पष्ट धमकी दी कि इस जमीन पर हम कब्जा करके रहेंगे, तुने जमीन खाली नहीं की तो तुझे परिवार सहित जान से मार देंगे। प्रार्थी व उसके पुत्र फुला के साथ मारपीट करने पर आमादा हुए एवं धमकी देकर गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:38:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

अप्रार्थी संख्या 01 से 06 आपराधिक प्रवृति के लोग है एवं पूर्व में भी प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने एवं जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास कर चुके है तथा अपने अवैध उद्धेश्य की पूर्ति हेतु हमेशा अपनी औरतों अप्रार्थी संख्या 02, 03, 05 व 06 को आगे करके उनसे विवाद करवाकर प्रार्थी को झूठे मुकदमे में भी फंसाने की धमकी देते है। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 द्वारा ट्रेक्टर लेकर प्रार्थी की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश कर खेडाई करने का प्रयास करने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की धमकी देने के कारण प्रार्थी ने दिनांक 05–07–2017 को पुलिस थाना आबूरोड सदर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिरोही श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत, श्रीमान तहसीलदार आबूरोड में अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के विरूद्ध रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस व अन्य अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। इसके पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 01 से 06 नहीं माने एवं पद संख्या 02 में वर्णित प्रार्थी के स्वामित्व व खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर हडप करने के दुराशय से दिनांक 08–07–2018 को रात्री में करीब 10.30 बजे अप्रार्थी संख्या 01 से 06 पुनः मौके पर एक राय होकर ट्रेक्टर लेकर प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रवेश कर खेडाई करने की कोशिश करने लगे जिस पर प्रार्थी एवं उसका पुत्र मौके पर पहुँचे और अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में खेडाई करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि दो दिन में तु इस जमीन को खाली कर कब्जा हमें सौंप दें, नही तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार कर इसी जमीन में गाड देंगे और प्रार्थी को धमकी देकर चले गए है। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देते है, तो उक्त कृषि भूमि में निहित प्रार्थी के हक व अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा। प्रार्थी अपने विधिक खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जाएगा। इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 01 स 06 पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा, इस कारण प्रार्थी उचित अनुतोष पाने का अधिकारी है। जिस कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या तीन नौलकी नाबालींग होने से इनका नाम वाद से हटाया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3,4 की ओर से जवाब प्रस्तुत। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथन को अस्वीकार किया।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी हमारी पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि है। पास मे अप्रार्थी जेता की कृषि भूमि है। जो हमारी स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि पर काश्त करने से रोकता है। जिसकी पूर्व मे शिकायत भी की जा चुकी है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त प्रश्नगत आराजी से हमारा कोई लेना देना नही है। तथा पुलिस के कहने से प्रार्थी ने न्यायालय मे वाद दायर करवाया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि आराजी है। जिससे यदि प्रार्थी को प्रश्नगत आराजी पर कृषि कार्य करने से रोका जाता है तो प्रार्थी को अपुर्तनीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण मे प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.परिपोषणीय होने से स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

आदेश

यह कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार मौजा ग्राम गिरवर पटवार क्षेत्र गिरवर तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 1233, 1235, 1236, 1264, 1265 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 00.06, 00.04, 04.16, 01.16, 00.05 बीघा कुल रकबा 07.07 बीघा का प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है। जिससे यदि प्रार्थी को उक्त प्रश्नगत आराजी पर कृषि कार्य करने से रोका जाता है तो प्रार्थी को अपुर्तनीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.परिपोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम गिरवर पटवार क्षेत्र गिरवर तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 1233, 1235, 1236, 1264, 1265 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 00.06, 00.04, 04.16, 01.16, 00.05 बीघा कुल रकबा 07.07 बीघा प्रार्थी की पुश्तैनी स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि पर स्वयं, अपने अधिनस्थ प्रतिनिधि, नौकर, ऐजेन्ट अथवा अन्य किसी के मार्फत् कब्जा नही करे एवं प्रार्थी को उसके वैद्य कब्जे से जबरन बेदखल नही करे न करावे एवं प्रार्थी को कृषि कार्य करने मे बाधा उत्पन्न नही करे न करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:38:12 IST
Reason: SelfAttested